समाहरणालय, दरभंगा

(जिला स्थापना शाखा)

–: आदेश :–

श्री मो0 शमीम, तत्कालीन कार्यालय अधीक्षक के आवेदन दिनांक–23.11.09 के आलोक में दिनांक–17.11.2009 से बिना अवकाश स्वीकृत कराये हुए कार्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप में कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1236/स्था0, दिनांक–05.12.09 के द्वारा श्री प्रकाश नारायण चौधरी, तत्कालीन लिपिक, केन्द्रीय डाक शाखा, समाहरणालय, दरभंगा सम्प्रति प्रखंड कार्यालय, सदर, दरभंगा को निलंबित करते हुए आदेश दिनांक–11.02.10 के द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र–"क" गठित कर श्री गोविन्द चौधरी, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

पुनः प्रखंड कार्यालय, तारडीह में पदस्थापन अवधि में नाजिर एवं प्रधान लिपिक के पद पर रहते हुए मनमाने ढ़ंग से कार्य करने/रोकड़ बही के सही रूप से संधारण नहीं करने, स्थानान्तरण के बावजूद प्रखंड नजारत तारडीह से संबंधित कार्यों का संपादन करते रहने, स्थानान्तरण के बावजूद अपने जिम्में आवंटित कार्यों एवं नजारत का प्रभार नहीं देने, जानबूझकर वित्तीय नियमों की अनदेखी करते हुए अभिलेखों/रोकड़ बही में गलत प्रविष्टि कर राशि गबन करने, मो0–244560=00 (दो लाख चौवालीस हजार पाँच सौ साठ) रूप्ये मात्र का अभिश्रव संदिग्ध पाये जाने एवं अंकेक्षण दल को सहयोग नही किये जाने के आरोप में श्री चौधरी के विरूद्ध दिनांक–23.03.2011 को पूरक आरोप पत्र गठित करते हुए पूर्व से नामित संचालन पदाधिकारी श्री गोविंद चौधरी, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा को भेजते हुए विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया।

श्री गोविन्द चौधरी, वरीय उप समाहर्त्ता, दरभंगा –सह– संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1155, दिनांक–23.08.13 के द्वारा श्री प्रकाश नारायण चौधरी, तत्कालीन लिपिक, केन्द्रीय डाक शाखा, समाहरणालय, दरभंगा सम्प्रति प्रखंड कार्यालय, सदर, दरभंगा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की जाँच पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रपत्र–"क" में प्रतिवेदित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। साथ ही पूरक प्रपत्र–"क" में प्रतिवेदित आरोप क्रम संख्या–1, 3 एवं 4 प्रमाणित तथा आरोप क्रम संख्या–2 एवं 5 आंशिक प्रमाणित पाये गये हैं।

तारडीह प्रखंड नजारत से संबंधित मामले में आरोपी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसके फलस्वरूप आरोपी श्री चौधरी दिनांक–02.10.10 से 14.05.13 तक काराधीन रहें। प्रखंड नजारत, तारडीह के अंकेक्षण हेतु गठित अंकेक्षण दल के द्वारा समर्पित अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा अंकेक्षण दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक–2587/स्था0, दिनांक–27.12.12 के द्वारा अभिश्रव के जाँच हेतु जिला स्तर से त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया। जिला स्तर से गठित त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या–105/11–12 के कंडिका 18 में आपत्ति अन्तर्गत रखी गई राशि मो0–14011755=60 रूपये का अभिश्रव प्रखंड कार्यालय के इनवेन्ट्री सूची के अनुसार उपलब्ध है। साथ ही कंडिका–2 में आपत्ति के अन्तर्गत रखी गई राशि मो0–5860304=00 रूपये मात्र से संबंधित अभिश्रव प्रखंड कार्यालय के इनवेन्ट्री सूची से प्राप्त हो चुका है।

आरोपी श्री प्रकाश नारायण चौधरी, लिपिक के विरूद्ध गठित प्रपत्र–"क", पूरक प्रपत्र–"क" तथा संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपी से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई तथा आरोपी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर दिनांक–29.11.13 को सुनवाई की गई। सुनवाई में आरोपी भी उपस्थित हुए तथा उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया।

इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध गठित प्रपत्र–"क", पूरक प्रपत्र–"क", गठित आरापे पत्र के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन तथा द्वितीय कारणपृच्छा के आलोक में सुनवाई के फलस्वरूप आरोपी के विरूद्ध प्रपत्र–"क" में प्रतिवेदित सभी आरोप एवं पूरक प्रपत्र–"क" में प्रतिवेदित अधिकांश आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 एवं यथा संशोधित नियमावली–2010 के नियम–14(V) के आलोक में निम्न शास्तियाँ अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है :–

(1) संचयी प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों पर रोक।

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त शास्ति की प्रविष्टि आरोपी के सेवापुस्त में कर सेवापुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित किया जाय। आरोपी श्री चौधरी के निलंबन अवधि में वेतनादि भुगतान संबंधी आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

स मा ह र्त्ता,
दरभंगा।

ज्ञापांक–2–17/09– 55 /स्था0, लहेरियासराय, दिनांक 09 वीं जनवरी, 2014

प्रतिलिपि :– श्री प्रकाश नारायण चौधरी, तत्कालीन लिपिक, केन्द्रीय डाक शाखा, समाहरणालय, दरभंगा सम्प्रति प्रखंड कार्यालय, सदर, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–11(5) के आलोक में पत्र प्राप्ति के साठ दिनों के अन्दर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें कि अधिकांश आरोप प्रमाणित होने के कारण क्यों न आपको निलंबन अवधि में जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया जाय।

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रषित।

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारडीह/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

स मा ह र्त्ता,
दरभंगा।